भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1112

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

उद्यमशीलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम हेतु बजट आवंटन

1112. श्री तनुज पुनिया: श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: डॉ. मोहम्मद जावेद: डॉ. अमर सिंह:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच कौशल की आपूर्ति और मांग में असंतुलन है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस अंतर को पाटने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार**,** कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2023-24 तक कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

					राशि करोड़ रुपए में
स्कीम का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
पीएमकेवीवाई	1613.26	1514.76	1043.21	233.26	502.00
जेएसएस	1.12	1.08	1.38	1.55	1.53
एनएपीएस	47.60	107.64	241.60	335.42	632.82

आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

(ख) समय-समय पर कौशल अंतराल अध्ययन आयोजित किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे अध्ययन उद्योग की जरूरतों के अनुसार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के अन्तःक्षेप का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का काम सौंपा गया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करते हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की मैपिंग करते हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को पाटने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ संरेखित करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में इंडस्ट्री लीडर्स के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया गया है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं को चिन्हित करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

ii. पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उद्योग 4.0, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भविष्य के लिए तैयार जॉब रोलों को प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के अंतर्गत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी जॉब रोलों की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक निर्धारित करता है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग- मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें तथा उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए व्यवसायों के साथ चिन्हित तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) लचीली समझौता ज्ञापन स्कीम तथा प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों में कार्यालयीन प्रशिक्षण (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं।

vii. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

viii. बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत एनएसडीसी उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को संरेखित करने में सहयोग करते हैं।

ix. एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संबद्धता को बढ़ावा दिया जाता है।

x. भारत सरकार ने इन देशों में मांग के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए दस देशों अर्थात यू.के., फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

*****